न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 73/2023

प्रार्थी
1-- सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी
अप्रार्थीगण :--
1-- इन्द्रादेवी पुत्र रामकरण
2--सांदुदेवी पत्नी रामकरण
3--छोटुराम पुत्र गोरधनराम
4--मंजुदेवी पुत्री रामकरण
5--रामप्रसाद पुत्र गोरधनराम
6--श्रवणराम पुत्र रामकरण
7--सुखदेव पुत्र रामकरण
सभी जातियान रेगर निवासीगण पादूखुर्द
8--रामनिवास पुत्र भंवरराम
9--शिवजीराम पुत्र भवरराम
10--हरिकिशन पुत्र भंवरराम
सभी जातियान जाट निवासगण पादूखुर्द तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :-13/8/24

तहसीलदार रियांबड़ी ने यह प्रार्थना पत्र रास्ता संबंधी समस्याओ का निराकरण वर्ष 2023 में राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बाबत खसरा नंबर 180 से खेतो में आने जाने के रास्ते हेतू ग्राम पादुखुर्द के खसरा नंबर 161 रकबा 2.23 हैक्टर व खसरा नंबर 1031/165 रकबा 0.08 हैक्टर में से रास्ता हेतू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53,59,60,66,86 राजस्व भू अभिलेख के अंतर्गत पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर खसरा नंबर 161 व खसरा नंबर 1031/165 के खातेदारो को आपत्ति व जबाब बाबत नोटिस रजिस्टर्ड किये गये। नोटिस बाद तामिल के प्रापत हुए। आपत्ति व जबाब बाबत पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुए। इसलिए इनके विरुध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी (तहसीलदार) ने अपनी बहस में बताया गया कि मौजा पादुखुर्द के खसरा नंबर 161 रकबा 2.23 हैक्टर व खसरा नंबर 1031/165 रकबा 0.08 हैक्टर का निरीक्षण रुबरू मौतबिरान के समक्ष करने पर पाया गया कि मौके पर खसरा नंबर 161 की उतरी सीमार पर खसरा नंबर 1031/165 में मौके पर रास्ता चालू है जो कदीमी से है। यह रास्ता खेतो में खसरा नंबर 180 से जाता है। तथा पास वाले खसरा नंबर 2108/166 में होकर रास्ता चालू है। इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

प्रार्थी की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली के संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत पादुखुर्द का प्रमाण पत्र एवं पटवारी हल्का पादुखुर्द व भूअनि पादुकलां की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि मौजा पादुखुर्द के खसरा नंबर 180 से खेतों में जाने के लिए खसरा नंबर 161 रकबा 2.23 हैक्टर में सें 0.0328 हैक्टर व खसरा नंबर 1031/165 में सें 0.08 हैक्ठर की भूमि गैर मुमकिन रास्ते के लिए घोषित की जाती है। रास्ते की लंबाई 162 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर रहेगी। रास्ते में प्रभावित भूमि खातेदार की खातेदारी में यथावत रहेगी।

तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो कि उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी

जिला नागौर